न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 69 / 2024

1. सुरेश पुत्र गणपति जाति जाट निवासी बसेरी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
.....प्रार्थी

बनाम

1. कुंवर सिंह
2. विजय सिंह पुत्रान गणपति जाति जाट निवासी बसेरी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
3. करतार सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जाट निवासी बसेरी तहसील उच्चैन।
4. पुनिया पुत्री गणपति पत्नि महावीर जाति जाट निवासी बरसो तहसील व जिला भरतपुर।
.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय **दिनांकः—10.02.2025**

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 863 / 0.26, 867 / 0.01, 868 / 0.19, 870 / 0.23,106 / 0.14, 15 / 0.06, 168 / 0.21, 174 / 0.10, 202 / 0. 05, 289 / 0.17, 497 / 0.01, 498 / 0.09, 499 / 0.10, 588 / 1121 / 0.25, 762 / 0.28, 764 / 0. 18, 765 / 0.34 बाकै ग्राम बसेरी तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार वाहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है उक्त आराजी को वादी व प्रतिवादीगण मनवट बंटबारे से काश्त करते चले आ रहे है और अब तक वादी को मनवट बंटवारे में चौफा वाला खेत दिया उक्त खेत को वादी ने काफी लागत से उपजाउ बनाया था। बिवादित आराजी गांव के नजदीक होने के कारण अब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की नीयत में खराबी आ गई है वादी को मनवट बंटवारे में मिली आराजी को टैक्टर से जुताई कर अवैधानिक हक कायक करना चाहते है एवं पूर्व के मनवट बंटवारे को मानने से इन्कार कर रहे है। यह कि वादी दिनांक 02.07.2024 को अपनी आराजी में फसल बुबाई के लिये देखभाल कर रहा तो प्रतिवादीगण मौके पर आ गये और ऐलानिया

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

धमकी दी कि अब हम तुम्हें उक्त आराजी में काश्त नहीं करने देंगे एवं विवादित आराजी से बेदखल कर देंगे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.01.2025 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अभिभाषक प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त वादपत्र के खण्ड संख्या 2 में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है मौके पर आराजी का विभाजन भी हो रखा है। उक्त आराजी में से कुछ जमीन गांव की आबादी के पास है जिसके मुताबिक खातेदार अलग–अलग हिस्से बने हुये है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बिना विभाजन के कुछ हिस्से का बेचान कर दिया जिसकी प्रविष्ठी राजस्व रिकार्ड में नहीं हुई है परन्तु मौके पर कब्जा दे दिया गया है। प्रतिवादीगण मेरे हिस्से की आराजी पर कब्जा करने को उतारू है। अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है कि प्रार्थी को पूर्व में हुये मनबट के मुताबिक काश्त करने से ना रोके। प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके कारण उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी के हक निहित है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में रिकार्डेड सहखातेदार होने के आधार पर कानूनी विभाजन चाहा गया है। दौराने–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी के अंतरण लेने एवं वाद के निर्णय के पश्चात वादी के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त विवादित आराजी में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा बताया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बिना विभाजन के कुछ हिस्से का बेचान कर दिया है जिसकी प्रविष्टि राजस्व रिकार्ड में नहीं हुई है परन्तु कब्जा दे दिया गया है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण

Bharti
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजवूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र की जारी कर पावंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 863/0.26, 867/0.01, 868/0.19, 870/0.23,106/0.14, 15/0.06, 168/0.21, 174/0.10, 202/0.05, 289/0.17, 497/0.01, 498/0.09, 499/0.10, 588/1121/0.25, 762/0.28, 764/0.18, 765/0.34 बाकै ग्राम बसेरी तहसील उच्चैन में मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुरेश बनाम कुंवरसिंह वगै०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
01/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 10/02/25 को पेश हो। अधि० अप्रार्थी ने दिनांक 24/1/25 को एक प्रा० पत्र 09R7 पर पेश किया और प्रा० कि० है।	
10/02/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० अप्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Shanti सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	